

राजस्थान सरकार  
उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग

ईमेल- [higheredu3@rajasthan.gov.in](mailto:higheredu3@rajasthan.gov.in) दूरभाष-0141-5153222ए 5153223ए 5153660 (आई.पी.नं.24870)

क्रमांक प. 6(13)शिक्षा/ग्रुप-3/2021

जयपुर, दिनांक: 09 JUN 2021

:- आदेश :-

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2021-22 में की गई बजट घोषणा के बिन्दु संख्या-08 की अनुपालना में डीडवाना-नागौर में नवीन राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने की निम्नांकित शर्तों के अध्यक्षीन सैद्धांतिक प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है :-

(1) उक्त नवीन महाविद्यालय (कला संकाय, 02 वर्ग) में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक वर्ग में महाविद्यालय के नाम के सम्मुख अंकितानुसार बजट मद में निम्नानुसार पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

महाविद्यालय का नाम	बजट मद	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या
1-डीडवाना-नागौर	मांग संख्या-24 बजट मद-2202- सामान्य शिक्षा 03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 103-राजकीय महाविद्यालय तथा संस्थान 03-राजकीय महाविद्यालय (पुरुषों के लिए) राज्य निधि	प्राचार्य	01
		सहायक आचार्य	07
		पुस्तकालयाध्यक्ष	01
		शारीरिक शिक्षक	01
		सहायक लेखाधिकारी-	01
		प्रशासनिक अधिकारी	01
		आशुलिपिक	01
		वरिष्ठ सहायक	01
		कनिष्ठ सहायक	02
		प्रयोगशाला सहायक	01
		प्रयोगशाला वाहक	01
		बुक लिफ्टर	01
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	02
		कुल योग	21

(2) उक्त पदों के सृजन की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि आयुक्तालय उक्त नवीन महाविद्यालय के संचालन हेतु एक सोसाइटी का गठन करेगा जो चिकित्सा महाविद्यालयों के संचालन हेतु गठित राजमेस सोसाइटी की तर्ज पर गठित की जावें। उक्त नवीन राजकीय महाविद्यालय हेतु आवश्यक पद इस सोसाइटी के अधीन रहेंगे।

(3) सोसाइटी के गठन होने तक नवीन महाविद्यालय में विद्या संबल मॉडल पर विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फेकल्टी के रूप में/विद्यमान नियमित कार्मिकों को आवश्यकतानुसार लगाया जा सकेगा।

(4) उक्त नवीन महाविद्यालय के भवन निर्माण के संबंध में आयुक्तालय विद्यमान स्कूल भवनों अथवा स्कूल भवनों में वांछित विस्तार किया जाकर महाविद्यालय संचालित करने की संभावनाओं की समीक्षा कर आवश्यकतानुसार औचित्यपूर्ण राशि के प्रस्ताव प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या 102101919 दिनांक 21.05.2021 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(डॉ. मोहम्मद नईम)  
संयुक्त शासन सचिव

कृ.पृ.उ.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव (आर.वी.), माननीय मुख्यमंत्री।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।
5. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-1) विभाग।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
7. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग।
8. संयुक्त सचिव, शिक्षा (गुप-4) विभाग।
9. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. सम्बन्धित कुल सचिव, विश्वविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
12. सम्बन्धित राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ20(101/13)/आयो/आकाशि/2021-22/ 724

दिनांक: 14/05/2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार लेखा एवं हक राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, कार्यालय राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-1) विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव आयोजना (जनशक्ति) विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान जयपुर।
11. वित्तीय सलाहकार, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
12. कुल सचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा की अनुपालना में खोले गये नवीन राजकीय महाविद्यालय को बिना विलम्ब शुल्क संबद्धता प्रदान करने का श्रम करें।
13. संयुक्त निदेशक, (एच आर डी/प्रशासन) कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
14. संयुक्त निदेशक, अकादमी, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त नवीन राजकीय महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया सम्पादित करवाने की कार्यवाही करने का श्रम करें।
15. प्राचार्य, संबंधित राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान।
16. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राज0 जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
17. रक्षित पत्रावली।

दीपाली भागेव

संयुक्त निदेशक, आयोजना,  
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।